निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 श्रावण 1943 (श0)

(सं0 पटना 680) पटना, मंगलवार, 10 अगस्त 2021

परिवहन विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2021

सं० 02/कर/शुल्क–04/2021, 4858/परि०–Covid-19 के कारण लागू लॉकडाउन के आलोक में बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–7 की उप–धारा (7) सहपठित धारा–23 के **परन्तुक** के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा बिहार राज्य में निबंधित कर–प्रमादी परिवहन/गैर–परिवहन वाहन/ट्रैक्टर–ट्रेलर/बैट्री चालित यान (Electric Vehicle) द्वारा बकाया एकमुश्त पथकर/हरित कर जमा करने पर अर्थदण्ड/ब्याज से विमुक्ति तथा उपरोक्त सभी प्रकार के अनिबंधित वाहनों (उत्सर्जन मानक BS-IV के अनिबंधित वाहनों को छोड़कर) ट्रैक्टर–ट्रेलर/बैट्री चालित यान (Electric Vehicle) को **बकाया पथकर** एकमुश्त जमा करने पर सभी प्रकार के अर्थदण्ड एवं ब्याज (यदि कोई हो) से सर्वक्षमा (Amnesty) और वाहन व्यावसायियों द्वारा बकाये व्यापार कर तथा अस्थायी निबंधन की फीस को एकमुश्त जमा करने पर उस पर लगने वाले अर्थदण्ड एवं ब्याज की माफी की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि से छः माह तक के लिए प्रदान किया जाता है :–

क्र0 सं0	बकाया कर/ फीस का प्रकार	वाहनों का प्रकार	कर में रियायत
1.	पथकर	अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि तक के कर प्रमादी सभी प्रकार के निबंधित (अस्थायी निबंधन सहित) तथा सभी प्रकार के अनिबंधित वाहन (उत्सर्जन मानक BS-IV के अनिबंधित वाहनों को छोड़कर), ट्रैक्टर–ट्रेलर/बैट्री चालित यान (Electric Vehicle)	देय मूल पथकर जमा करने पर देय अर्थदण्ड से विमुक्ति दी जायेगी तथा नीलाम पत्र वाद यदि दायर हो तो विभाग द्वारा उसे वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी।
2.	अस्थायी निबंधन की फीस	केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम–42–सह पठित बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 के नियम–46 के आलोक में पूर्व में यदि कोई वाहन विक्रेता, बिना अस्थायी निबंधन के, कोई वाहन वाहन क्रेता को सुपुर्द कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में यदि वाहन विक्रेता बिना अस्थायी निबंधन के बेचे एवं सुपुर्द किये गये वाहनों का अस्थायी निबंधन का फीस जमा कर देता है, तो उन्हें अर्थदण्ड यदि कोई हो, से विमुक्ति दिया जायेगा। यह अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि तक के मामले में लागू होगा।	देय फीस जमा करने पर देय अर्थदण्ड से विमुक्ति दी जायेगी तथा नीलाम पत्र वाद यदि दायर हो तो विभाग द्वारा उसे वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी।
3.	हरित कर	अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि तक के कर प्रमादी सभी प्रकार के वाहन	देय मूल हरित कर जमा करने पर देय अर्थदण्ड से विमुक्ति दी जायेगी तथा नीलाम पत्र वाद यदि दायर हो तो विभाग द्वारा उसे वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी।
4.	ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन लगने वाला व्यापार कर	वैसे डीलर, जिनपर ट्रेड टैक्स की देयता है और ट्रेड टैक्स ससमय जमा नहीं करने के कारण अर्थदण्ड अधिरोपित है।	मूल व्यापार कर जमा करने पर देय अर्थदण्ड से विमुक्ति दी जायेगी तथा नीलाम पत्र वाद यदि दायर हो तो विभाग द्वारा उसे वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी।

2. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से 05 कार्यदिवस के पश्चात प्रभावी होगा एवं प्रभावी होने की तिथि से छः माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

Dated- 10th August 2021

No.-02/कर/शुल्क–04/2021, 4858/परि0–In light of the lockdown enforced owing to Covid-19, in exercise of the power conferred by sub section (7) of the section-7 of Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994 read with proviso of section-23, the State Government hereby declare to give amnesty from penalty/interest to the tax defaulter Transport/Non-transport vehicle/tractor-trailor/Battery operated vehicle (Electric Vehicle) registared in the State of Bihar subject to the deposition of the due one time road tax/green tax and to

give amnesty from penalty and interest (if any) to the above said types of vehicles which are unregistered (excluding BS-IV emission standard vehicle) and tractor-trailor/Battery operated vehicle (Electric vehicle) if due road tax is deposited at one time and to give amnesty from penalty and interest if vehicle dealers deposit the due trade tax and fee of temporary registration one time for the period of six months from the date of implementation of this notification subject to the conditions given below :-

Sl. No.	Due Tax/ Type of fee	Type of vehicle	Rebate in Tax
1.	Road Tax	All types of registered (Including temporary registration) and all types of unregistered vehicle (excluding unregistered vehicle of BS-IV standared emission), Tractor-trailer/Battery opereted (Electric Vehicle) which are tax defaulter at the date of the publication of the notification in Bihar Gazette.	Amnesty shall be given from the due penalty if due one time road tax is deposited and certificate case, if any shall be waived and also interest payable on it shall be waived.
2.	Fee of Temporary Registration	In light of the rule-46 of Bihar Motor Vehicle Rule-1992 read with rule-42 of Central Motor Vehicle Rule-1989, If any vehicle was given to the buyer by any dealer in the past without temporary registration, then if dealer deposit the fee of the temporary registration of the vehicle, sold to the buyer without temporary registration then anmesty from penalty shall be given.	Amnesty shall be given from the due penalty if due fee is deposited and certificate case, if any shall be waived and also interest payble on it shall be waived.
3.	Green Tax	All vehicle which are tax defaulter at the date of publication of this notification in Bihar Gazette.	Amnesty shall be given from the due penalty if due Green tax is deposited and certificate case, if any shall be waived and also interest payble on it shall be waived.
4.	Trade tax payable per vehicle on trade certificate	Dealers on whom trade tax is due and penalty has been imposed because of not depositing trade tax on time.	Amnesty shall be given from the due penalty if due trade tax is deposited and certificate case, if any shall be waived and also interest payble on it shall be waived.

2. This notification shall come into effect after five working days from the date of its publication in Bihar Gazette and shall be effective upto six months from its implementation.

By order of the Governor of Bihar,
Sanjay kumar Agarwal,
Secretary to the Goverment.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 680-571+10-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in